# <u>माह नवम्बर 2022 तक की एसीबी रिपोर्ट</u>

इस वर्ष माह नवम्बर तक एसीबी राजस्थान द्वारा **461 प्रकरण** पी.सी. एक्ट के तहत **पंजीबद्ध** किये गये हैं, जिनमें 424 ट्रेप के, 20 आय से अधिक सम्पत्ति के व 17 प्रकरण पद के दुरूपयोग के सम्मिलित है। माह नवम्बर में 34 प्रकरण ट्रेप के व 2 प्रकरण आय से अधिक सम्पत्ति के पंजीबद्ध किये गये है।

इसी अवधि में वर्ष **2020 में 296 प्रकरण**, वर्ष **2021 में 449 प्रकरण** दर्ज किये गये थे जिनमें क्रमशः 261 व 393 प्रकरण ट्रेप के थे। (**तालिका संलग्न**)

वर्ष 2022 में नवम्बर तक न्यायालय में **निस्तारण** भी रिकॉर्ड प्रकरणों का किया गया। इस वर्ष अब तक 435 प्रकरणों में चालान व 116 प्रकरणों में एफ.आर. न्यायालयों में पेश कर कुल **551 प्रकरणों का निस्तारण** किया गया। वर्ष **2021 में 461** व वर्ष **2020 में 247 प्रकरणों** का न्यायालय में निस्तारण पेश किया गया। (**तालिका संलग्न**)

ए.सी.बी. मुख्यालय द्वारा अनुसंधान के पूर्ण होने पर निर्णय आदेश 584 प्रकरणों में दिया गया जबकि वर्ष 2020 में 2020 प्रकरणों में तथा 2021 में 691 प्रकरणों में निर्णय आदेश प्रसारित किया गया। माह नवम्बर में दर्ज प्रकरणों की सूची संलग्न है।

समस्त प्रदेशवासियों से अपील है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

## COMPERATIVE REGISTRATION & DISPOSAL UP TO 30 NOV. 2022

| YEAR | REGISTRATION | | | | HQ. DISPOSAL ORDERS | DISPOSAL(SUBMIT IN COURT) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRAP | D.A. | M.O. | TOTAL | TOTAL | FR | CHALLAN | TOTAL |
| 2020 | 261 | 12 | 23 | 296 | 220 | 36 | 211 | 247 |
| 2021 | 393 | 24 | 32 | 449 | 691 | 76 | 385 | 461 |
| 2022 | 424 | 20 | 17 | 461 | 585 | 116 | 435 | 551 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOV. 2022 | 34 | 2 | 0 | 36 |

# माह नवम्बर 2022 के महत्त्वपूर्ण प्रकरण

| क.सं. | प्रकरण सं. | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | 452 / 2022 | दिनांक 25.11.2022 को श्री जोधाराम, आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा, जिला बाडमेर व अन्य द्वारा जमीन की 90बी लीज डीड जारी करने व व्यावसायिक पट्टा जारी करने की एवज में 1,00,000 रू की रिश्वत प्राप्त करने पर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। |
| 2 | 447 / 2022 | दिनांक 21.11.2022 को श्री महिपाल जाखड व अन्य को पुलिस थाना चौमूं, जिला जयपुर में पकडी गई शराब के प्रकरण में परिवादी का नाम नहीं आने देने की एवज में 1,00,000 रू रिश्वत राशि प्राप्त करते गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। |
| 3 | 436 / 2022 | दिनांक 07.11.2022 को श्री पंकज मिश्रा, उप निरीक्षक (गिरदावर), रेंज अकलेरा व पचपहाड केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जिला अफीम कार्यालय झालावाड व अन्य को अफीम का पट्टा दिलवाने की एवज में रिश्वत राशि 60,000 रू लेते हुये गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। |
| 4 | 444 / 2022 | दिनांक 18.11.2022 को श्री राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य आरक्षक नं0 103, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर, जिला सीकर व अन्य द्वारा परिवादी से उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में एफआर देने की एवज में 40,000 रू रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। |
| 5 | 440 / 2022 | दिनांक 15.11.2022 को श्री महिपाल सिंह, खण्डीय लेखाधिकारी, कार्यालय अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटपूतली, जयपुर एवं इनकी पत्नी के द्वारा 139.87 प्रतिशत की परिसम्पतियां वैध आय से अधिक अर्जित करना पाया जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। तलाशी के दौरान 1 किलो सोने के बिस्किट, 12 लाख रूपये नकद व खनन पट्टा, क्रेशर इत्यादि के अचल सम्पत्ति के दस्तावेज और मिले है। |